2015 का विधेयक सं.5

राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) यह 20 दिसम्बर, 2014 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 1994 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 19 का संशोधन.- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 19 में,-

(i) खण्ड (थ) के अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न ":" के स्थान पर विराम चिह्न ";" प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ii) इस प्रकार संशोधित विद्यमान खण्ड (थ) के पश्चात् और विद्यमान परन्तुक के पूर्व निम्नलिखित नये खण्ड अन्त:स्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:-

"(द) जिला परिषद् या पंचायत समिति के सदस्य के मामले में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान या उसके समकक्ष किसी बोर्ड से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा उत्तीर्ण हो;

(ध) किसी अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत के सरपंच के मामले में, किसी विद्यालय से कक्षा 5 उत्तीर्ण हो; और

(न) किसी अनुसूचित क्षेत्र में की पंचायत से भिन्न किसी पंचायत के सरपंच के मामले में, किसी विद्यालय से कक्षा 8 उत्तीर्ण हो:"; और

(iii) स्पष्टीकरण-II के पश्चात् निम्नलिखित नया स्पष्टीकरण जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"**स्पष्टीकरण-III.**- इस धारा के खण्ड (ध) और (न) के प्रयोजन के लिए-

(i) "अनुसूचित क्षेत्र" से भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के खण्ड (1) में यथा निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र अभिप्रेत है; और

(ii) शब्द "विद्यालय" का वही अर्थ होगा जो उसे नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 35) की धारा 2 के खण्ड (ढ) में दिया गया है।"।

3. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का अध्यादेश सं. 2) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के उपबंध पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के लिए कोई शैक्षिक अर्हता उपबंधित नहीं करते थे। यह महसूस किया गया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता अवधारित की जानी चाहिए।

इसलिए, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के उपबंध संशोधित किये जाने प्रस्तावित थे।

चूंकि राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए उन्होंने 20 दिसम्बर, 2014 को राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का अध्यादेश सं. 2) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4(ख) में दिनांक 20 दिसम्बर, 2014 को प्रकाशित हुआ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

सुरेन्द्र गोयल,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

19. किसी पंच या सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हताएं.- किसी पंचायती राज संस्था के मतदाताओं की सूची में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति ऐसी पंचायती राज संस्था के पंच या, यथास्थिति, सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हित होगा यदि ऐसा व्यक्ति-

(क) राजस्थान राज्य के विधानमण्डल के निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि द्वारा या उसके अधीन निरर्हित नहीं है:

परन्तु कोई भी व्यक्ति यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है तो इस आधार पर निरर्हित नहीं होगा कि वह 25 वर्ष की आयु से कम का है;

(क क) इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अधीन और अनुसार फाइल की गयी किसी निर्वाचन याचिका के परिणामस्वरूप किसी सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा भ्रष्ट आचरण का दोषी नहीं पाया गया है;

(ख) किसी स्थानीय प्राधिकरण, किसी विश्वविद्यालय या किसी भी ऐसे निगम, निकाय, उपक्रम या सहकारी सोसाइटी, जो राज्य सरकार द्वारा या तो नियंत्रित या पूर्णत: या भागत: वित्तपोषित है, के अधीन कोई वैतनिक पूर्णकालिक या अंशकालिक नियुक्ति धारण नहीं करता है;

(ग) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित अवचार के कारण राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत नहीं किया गया है और लोक सेवा में नियोजन के लिए निरर्हित घोषित नहीं किया गया है;

(घ) किसी भी पंचायती राज संस्था के अधीन कोई भी वैतनिक पद या लाभ का पद धारण नहीं करता है;

(ङ) संबंधित पंचायती राज संस्था से, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी भी संविदा में प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: अपने द्वारा या अपने भागीदार, नियोजक या कर्मचारियों के द्वारा कोई भी अंश या हित, किये गये किसी भी कार्य में ऐसे अंश या हित का स्वामित्व रखते हुए, नहीं रखता है;

(च) कुष्ठी नहीं है या कार्य के लिए असमर्थ बनाने वाले किसी भी अन्य शारीरिक या मानसिक दोष या रोग से ग्रस्त नहीं है;

(छ) किसी भी अपराध के लिए किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है और छह मास या अधिक के कारावास से दण्डादिष्ट नहीं किया गया है, ऐसा दण्डादेश तत्पश्चात् उलट दिया गया हो या उसका परिहार कर दिया गया हो या अपराधी को क्षमा कर दिया गया हो;

(छ छ) ऐसे किसी सक्षम न्यायालय में विचारणाधीन नहीं है जिसने उसके विरुद्ध ऐसे किसी अपराध का, जो पांच वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय हो, संज्ञान ले लिया है और आरोप विरचित कर दिये हैं;

(ज) धारा 38 के अधीन निर्वाचन के लिए तत्समय अपात्र नहीं है;

(झ) संबंधित पंचायती राज संस्था द्वारा अधिरोपित किसी भी कर या फीस की रकम, को, उसके लिए मांग नोटिस प्रस्तुत किये जाने की तारीख से दो मास तक असंदत्त नहीं रखे हैं;

(ञ) संबंधित पंचायती राज संस्था की ओर से या उसके विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में नियोजित नहीं है;

(ट) राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम, 1960 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है;

(ठ) दो से अधिक बच्चों वाला नहीं है;

(ड) पूर्व में किसी पंचायती राज संस्था का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष रहते हुए पंचायती राज संस्था के शोध्यों को जमा कराने के लिए ऐसी तारीख से जबकि ऐसा नोटिस अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष पर तामील किया गया था, दो मास की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् भी शोध्य असंदत्त नहीं रखे हैं और उसका नाम, ऐसी पंचायती राज संस्था के निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी होने से कम से कम दो मास पूर्व, राज्य सरकार द्वारा कलक्टर (पंचायत) को उपलब्ध करायी गयी ऐसे व्यतिक्रमियों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है;

(ढ) राज्य में की अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किसी स्थान की दशा में, उन जातियों या जनजातियों या, यथास्थिति, वर्गों में से किसी का सदस्य है;

(ण) महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान की दशा में, महिला है; और

(त) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किसी स्थान की दशा में, उन जातियों या जनजातियों या, यथास्थिति, वर्गों में से किसी का सदस्य है और महिला है;

(थ) घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय रखता हो और उसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच के लिए नहीं जाता हो:

परन्तु-

(i) किसी व्यक्ति को किसी निगमित कम्पनी या राजस्थान राज्य में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सहकारी सोसाइटी में केवल अंशधारी या उसका सदस्य होने के कारण से कम्पनी या सहकारी सोसाइटी और पंचायती राज संस्था के बीच की गयी किसी भी संविदा में हितबद्ध नहीं ठहराया जायेगा;

(iक) खण्ड (क क) के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति खण्ड (क क) में निर्दिष्ट आदेश की तारीख से छह वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित समझा जायेगा;

(ii) खण्ड (ग), (छ) और (ट) के प्रयोजनों के लिए कोई भी व्यक्ति उसकी पदच्युति की तारीख या, यथास्थिति, दोषसिद्धि की तारीख से छह वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् निर्वाचन के लिए पात्र हो जायेगा;

(iii) खण्ड (झ) के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को तब निरर्हित नहीं समझा जायेगा यदि वह उससे शोध्य कर या फीस की रकम अपना नामनिर्देशन दाखिल करने की तारीख के पूर्व संदत्त कर देता है;

(iv) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख, जिसे इस परन्तुक में आगे ऐसे प्रारम्भ की तारीख कहा गया है, से 27 नवम्बर, 1995 तक की कालावधि के दौरान हुए किसी अतिरिक्त संतान के जन्म पर खण्ड (ठ) में उल्लिखित निरर्हता के प्रयोजन के लिए विचार नहीं किया जायेगा और कोई व्यक्ति जिसके दो से अधिक संतानें हैं (ऐसे प्रारम्भ की तारीख से 27 नवम्बर 1995 तक की कालावधि के दौरान जन्मी संतान, यदि कोई हो को छोड़कर) उस खण्ड के अधीन तब तक निरर्हित नहीं होगा जब तक ऐसे प्रारम्भ की तारीख को रही उसकी संतानों की संख्या में वृद्धि नहीं होती;

(v) खण्ड (छ) के प्रयोजनों के लिए, किसी अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष को निरर्हित नहीं समझा जायेगा यदि वह अपना नामनिर्देशन पत्र फाइल करने के पूर्व उससे शोध्य रकम संदत्त कर देता है।

स्पष्टीकरण-I.-धारा 19 के खण्ड (ठ) के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को या तत्पश्चात् जहां किसी दम्पती के पूर्ववर्ती प्रसव या प्रसवों से केवल एक

बच्चा हो वहां किसी एक ही पश्चात्वर्ती प्रसव से पैदा हुए बच्चों की किसी संख्या को एक इकाई समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण-II.-इस धारा के खण्ड (थ) के प्रयोजन के लिए-

(i) "स्वच्छ शौचालय" से तीन दीवारों, एक दरवाजे और छत से घिरी हुई कोई जल-बंध (वाटर सील्ड) शौचालय प्रणाली या व्यवस्था अभिप्रेत है; और

(ii) "परिवार के सदस्य" से ऐसे व्यक्ति का/की पति/पत्नी, बच्चे और ऐसे व्यक्ति के साथ निवास कर रहे उसके माता-पिता अभिप्रेत हैं।

XX XX XX XX XX

(Authorised English Translation)

Bill No. 5 of 2015

THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ (SECOND AMENDMENT) BILL, 2015

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Second Amendment) Act, 2015.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 20th December, 2014.

2. Amendment of section 19, Rajasthan Act No. 13 of 1994.- In section 19 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), hereinafter referred to as the principal Act,-

(i) in clause (q), for the existing punctuation mark ":" appearing at the end, the punctuation mark ";" shall be substituted;

(ii) after the clause (q), so amended and before the existing proviso, the following new clauses shall be inserted, namely:-

"(r) in case of a member of a Zila Parishad or a Panchayat Samiti, has not passed secondary school examination of the Board of Secondary Education, Rajasthan or of an equivalent Board;

(s) in case of a Sarpanch of a Panchayat in a Scheduled Area, has not passed class V from a School; and

(t) in case of a Sarpanch of a Panchayat other than in a Scheduled Area, has not passed class VIII from a School:"; and

(iii) after the Explanation-II, the following new Explanation shall be added, namely:-

"**Explanation-III.-** For the purpose of the clauses (s) and (t) of this section-

(i) "Scheduled Area" means the Scheduled Area as referred to in clause (1) of article 244 of the Constitution of India; and

(ii) the word "School" shall have the same meaning as assigned to it in clause (n) of section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Central Act No. 35 of 2009).".

3. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Panchayati Raj (Second Amendment) Ordinance, 2014 (Ordinance No. 2 of 2014) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under the principal Act as amended by this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The provisions of Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 did not provide for any educational qualification for the representatives of Panchayati Raj Institutions. It was felt that a minimum educational qualification should be determined for persons contesting elections for Panchayati Raj Institutions.

Therefore, the provisions of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 were proposed to be amended.

Since the Rajasthan Legislative Assembly was not in session and circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, he, therefore, promulgated the Rajasthan Panchayati Raj (Second Amendment) Ordinance, 2014 (Ordinance No. 2 of 2014) on 20th December, 2014, which was published in Rajasthjan Gazette, Part IV(B), Extraordinary, dated 20th December, 2014.

The Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance.

Hence the Bill.

सुरेन्द्र गोयल,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ ACT, 1994
(Act No. 13 of 1994)

XX XX XX XX XX

19. Qualifications for election as a Panch or a member.- Every person registered as a voter in the list of voters of a Panchayati Raj Institution shall be qualified for election as a Panch or, as the case may be, a member of such Panchayati Raj Institution unless such person-

(a) is disqualified by or under any law for the time being in force for the purposes of election to the Legislature of the State of Rajasthan :

Provided that no person shall be disqualified on the ground that he is less than 25 years of age if he has attained the age of 21 years;

(aa) is found guilty of a corrupt practice by order of a competent court, consequent upon an election petition filed under and in accordance with the provisions of this Act or rules made thereunder.

(b) holds a salaried whole-time or part-time appointment under a local authority, a University or any Corporation, Body, Enterprise or Co-operative Society, which is either controlled wholly or partly financed by the State Government;

(c) has been dismissed from State Government service for misconduct involving moral turpitude and has been declared to be disqualified for employment in the public service;

(d) holds any salaried post or place of profit under any Panchayati Raj Institution;

(e) has directly or indirectly by himself or by his partner, employer or employees, any share or interest in any contract with, by or on behalf of the

Panchayati Raj Institution concerned while owning such share or interest in any work done for;

(f) is a leper or is suffering from any other bodily or mental defect or disease rendering him incapable for work;

(g) has been convicted of any offence by competent court and sentenced to imprisonment for six months or more, such sentence not having been subsequently reversed or remitted or the offender pardoned;

(gg) is under trial in the competent court which has taken cognizance of the offence and framed the charges against him of any offence punishable with imprisonment for five years or more;

(h) is for the time being ineligible for election under section 38;

(i) has not paid, for two months from the date of the presentation of the notice of demand therefor, the amount of any tax or fees imposed by the Panchayati Raj Institution concerned;

(j) is employed as a legal practitioner on behalf of or against the Panchayati Raj Institution concerned;

(k) has been convicted of an offence punishable under the Rajasthan Prevention of Mrityu Bhoj Act, 1960;

(l) has more than two children;

(m) earlier having been a Chairperson / Deputy Chairperson of any Panchayati Raj Institution has not paid dues even after the expiry of a period of two months from the date a notice, for depositing the dues of the Panchayati Raj Institution, was duly served upon such Chairperson / Deputy Chairperson and his name is included in the list of such defaulter supplied by the State Government to the Collector (Panchayats) at least two months before the issue of

notification for election to such Panchayati Raj Institution;

(n) in the case of a seat reserved for the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Backward Classes of the State, is not a member of any of those Castes, or Tribes or Classes, as the case may be;

(o) in the case of a seat reserved for the women, is not a woman; and

(p) in the case of a seat reserved for women belonging to Scheduled Castes or Scheduleds Tribes or Backward Classes, is not a member of any of these Castes or Tribes or Classes, as the case may be, and is not a woman;

(q) does not have a functional sanitary toilet in the house and any of his family members defecate in the open:

Provided that -

(i) a person shall not, by reason only of his being a share-holder in or a member of any incorporated company or cooperative society registered under the law for the time being in force in the State of Rajasthan, be held to be interested in any contract entered between the company or cooperative society and the Panchayati Raj Institution;

(ia) for the purpose of clause (aa), a person shall be deemed to be disqualified for a period of six years from the date of order referred to in clause (aa);

(ii) for the purposes of clauses (c), (g) and (k), any person shall become eligible for election after a lapse of six years from the date of his dismissal or the date of conviction, as the case may be;

(iii) for the purpose of clause (i), a person shall not be deemed to be disqualified if he has paid the amount of the tax or fee due from him before the date of filling his nomination papers;

(iv) the birth during the period from the date of commencement of this Act, hereinafter in this proviso referred to as the date of such commencement, to 27th November, 1995, of an additional child shall not be taken into consideration for the purpose of the disqualification mentioned in clause (1) and a person having more than two children (excluding the child, if any, born during the period from the date of such commencement to 27th November, 1995) shall not be disqualified under that clause for so long as the number of children he had on the date of commencement of this Act does not increase;

(v) for the purposes of clause (m), a Chairperson / Deputy Chairperson shall not be deemed to be disqualified if he pays the amount due from him before filing his nomination papers.

Explanation-I.- For the purpose of clause (l) of Section 19, where the couple has only one child from the earlier delivery or deliveries on the date of commencement of this Act and thereafter, any number of children born out of a single subsequent delivery shall be deemed to be one entity.

Explanation-II.- For the purpose of the clause (q) of this section-

(i) "sanitary toilet" means a water sealed toilet system or setup surrounded by three walls, a door and a roof; and

(ii) "family members" means spouse of such person, children and his parents living with such person.

XX XX XX XX XX

2015 का विधेयक सं.5

राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

पृथ्वी राज,
विशिष्ट सचिव।

(सुरेन्द्र गोयल, **प्रभारी मंत्री)**

Bill No. 5 of 2015

THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ (SECOND AMENDMENT) BILL, 2015

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

PRITHVI RAJ,
Special Secretary.

(Surendra Goyal, **Minister-Incharge**)